झारखंड सरकार

स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग

आदेश

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) को महामारी (Pandemic) घोषित करने तथा इस संदर्भ में देश में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में कोरोना वायरस के प्रादुभार्व को रोकने एवं इलाज के क्रम The Jharkhand State Epidemic Disease (COVID-19) Regulations, 2020 की धाराओं में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। सभी उपायुक्त इसी तरह का एक जिला स्तरीय नियंत्रण कक्ष जिला मुख्यालय में खोलना सुनिश्चित करेंगे ।

2. तद्नुसार राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष की स्थापना सूचना भवन, मेयर्स रोड, रांची में की जाती है । इस नियंत्रण कक्ष में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति संलग्न विवरणी के अनुसार की जाती है ।

3. उपर्युक्त कंडिका में वर्णित संबंधित विभाग अपने विभाग से एक पदाधिकारी को राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में प्रतिनियुक्त करते हुए इस विभाग को प्रतिवेदित करेंगे ।

राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष निम्वत् कार्य करेगीः–

(i) राज्य स्तरीय नियंत्रण कक्ष में प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से तथा त्वरित कार्यवाही के लिए पूर्व से कार्यरत 181–प्रणाली स्वास्थ्य संबंधी हेल्पलाईन के लिए उपयोग किया जायेगा ।

(ii) राज्य नियंत्रण कक्ष में जो भी सूचना प्राप्त होगी, उससे संबंधित एक पंजी संधारित की जायेगी तथा उस पंजी में की गई कार्रवाई का भी उल्लेख किया जायेगा ।

(iii) राज्य नियंत्रण कक्ष को सफलतापूर्वक संचालित करने के लिए सर्वप्रथम त्रुटिरहित एवं अद्यतन डेटाबेस की आवश्यकता होगी। अतः सभी जिलों को प्रशासनिक मोबाईल यूनिट, मेडिकल मोबाईल यूनिट्स तथा राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय सर्विलेंस टीम के सदस्यों की जानकारी, फोन नम्बर तत्काल अद्यतन करना है । समस्त नोडल अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित जानकारी तत्काल अद्यतन कर दी जाय तथा उक्त जानकारी को निरंतर अद्यतन बनाये रखा जाय ।

(iv) इसी प्रकार जिला नियंत्रण कक्ष जिले में उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं, अस्पतालों, स्वास्थ्य केन्द्रों, चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल कर्मी का डेटावेस भी अद्यतन रखेंगे। इस नियंत्रण कक्ष के अन्तर्गत COVID-19 संक्रमण से बचाव के कार्य में तैनात विभिन्न विभागों के अधिकारियों की जानकारी, दूरभाष नम्बर अद्यतन रखेंगे ताकि अन्तर–विभागीय समन्वय सुगमतापूर्वक हो सके ।

(v) जिला में स्थानीय संसाधनों का उपयोग कर दूरभाष, मोबाईल, इन्टरनेट, आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, सुरक्षित एवं प्रमाणिक ऐप्स, विडियों कॉलिंग आदि स्थानीय रूप से उपलब्ध आधुनिक संचार साधनों का प्रभावी उपयोग किया जाय । इस कार्य में जिला ई–गवर्नेन्स तथा एन0आई0सी0 के विशेषज्ञ अधिकारियों का उपयोग किया जाय ।

(vi) जिला स्तर पर बेहतर प्रबंधन हेतु नोडल अधिकारी की सहायता के लिये योग्य अधिकारियों को सहयोगी अधिकारी के रूप में तैनात किया जाय । इस प्रणाली में आवश्यक स्थानीय तौर पर उपलब्ध अन्य विभागों के योग्य मानव संसाधन को कार्यरत किया जाय ।

(vii) त्वरित संपर्क, त्वरित संवाद, त्वरित सलाह, त्वरित प्रतिक्रिया एवं त्वरित कार्यवाही ही इस की सफलता का मुख्य आधार है । अतः यह सुनिश्चित किया जाय कि इस प्रणाली में किसी भी स्तर पर प्रतिक्रिया देने अथवा कार्यवाही करने में किसी भी प्रकार का विलंब नहीं करेंगे ।

(viii) यदि इस सम्पूर्ण प्रक्रिया के अन्तर्गत कोई व्यक्ति कोरोना पॉजेटिव पाये जाने कि स्थिति में उस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग संबंधी संपूर्ण कार्यवाही केन्द्रीकृत रूप से मॉनिटर की जायेगी । नियंत्रण कक्ष के प्रभारी पदाधिकरी व्यक्तिगत रूप से इस बिन्दु पर समीक्षा करेंगे ।

(ix) नियंत्रण कक्ष में आने वाले कॉल्स की प्रकृति के अनुरूप प्रतिदिन डेटा विश्लेषण किया जायेगा । राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग एवं इस कार्य से जुड़े विभागों के द्वारा प्रतिदिन आने वाले कॉल्स का अध्ययन करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है ।

(डा0 नितीन कुलकर्णी)
सरकार के प्रधान सचिव ।

ज्ञापांकः - 155/HS दिनांक : 24.03.2020

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव/मा0 मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी/विकास आयुक्त/अपर मुख्य सचिव, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग/पुलिस महानिदेशक/अपर मुख्य सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग/प्रधान सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग/सचिव, सूचना एवं जन संपर्क विभाग/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, नामकूम, रांची/ सभी उपायुक्त, झारखंड/पुलिस अधीक्षक, झारखंड/निदेशक, औषधि, नामकूम, रांची/उपायुक्त, रांची/वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

सरकार के प्रधान सचिव ।